POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2015-17 (RNI. REG. NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2016/अंक 08

मासिक प्रेषण दि. 8 अगस्त, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 अगस्त, 2016 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! सरकार लोगों की भलाई और सर्वांगीण विकास के लिए कई योजनाएं बनाती हैं। वह किए गए कार्यों का गुणगान करने में भी पीछे नहीं रहती।

बावजूद इसके योजनाओं का क्रियान्वयन समय पर नहीं होता। लोगों की समस्याएं और शिकायतें सरकारी दफ्तरों में पहुंच कर दफन हो जाती हैं। दफ्तरों में काम करने की धीमी गति के चलते समय पर उनका उचित समाधान नहीं होता। पिछले दिनों कई मंत्रियों ने भी इस सच्चाई को स्वीकार किया है।

यह तो तब है जब केन्द्र व राज्यों में कई सरकारी सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं। सरकार इस व्यवस्था को गांवों तक भी पहुंचा रही है। गांवों में लोग ई-मित्र की सेवाएं भी लेने लगे हैं। लोगों को लगने लगा कि अब उनकी समस्याओं का जल्द समाधान हो सकेगा। लेकिन बावजूद इसके सरकारी दफ्तर समस्याओं का समाधान करने में तत्परता नहीं दिखा रहे।

देखा जाए तो समय पर सेवा मुहैया नहीं कराने पर अफसरों पर पैनल्टी का प्रावधान है, लेकिन कुछ ही मामलों में जुर्माना लगाया जाता है। ऑनलाइन होने के बावजूद सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता व जवाबदेही का अभाव साफ दिखता है।

सरकारी कर्मचारी आम आदमी की परेशानियों को नजरअंदाज करते हैं और जन हित की बजाय अपने फायदे पर ज्यादा नजर रखते हैं। सुशासन के लिए जवाबदेही व पारदर्शिता का होना आवश्यक है, ताकि कम समय में लोगों को सेवाएं मिल सकें।

भ्रामक विज्ञापन तो भुगतना होगा जुर्माना व सजा

ब्रांड एंबैसेडर बन कर विज्ञापनों के जरिए करोड़ों रुपए कमाने वाले सितारों को अब सावधान हो जाना चाहिए। अगर यह साबित हो गया कि जिस चीज का विज्ञापन कोई फिल्मी सितारा अथवा सम्मानित व्यक्ति कर रहा है और वह भ्रामक विज्ञापन के जरिए ग्राहकों को बेवकूफ बना रहा है तो उन्हें पचास लाख रुपए तक का जुर्माना ही नहीं बल्कि पांच साल की जेल की सजा भी हो सकती है।

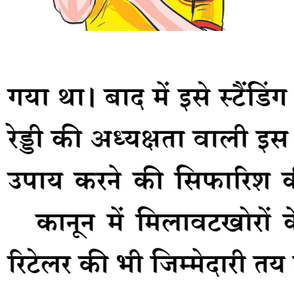

उपभोक्ता मामलों की स्टैंडिंग कमेटी ने इन सिफारिशों के साथ संसद में रिपोर्ट पेश की है। कमेटी ने इस कानून को पहली बार तोड़ने पर दोषियों के लिए 10 लाख का जुर्माना व दो साल की जेल या दोनों सजा, दूसरी बार कानून तोड़ने पर 50 लाख रुपए जुर्माना व पांच साल की जेल या दोनों एक साथ देने की सिफारिश की है। यह गलती फिर से होने पर सेवा या उत्पाद की कीमत और बिक्री के मुताबिक सजा बढ़ाई जा सकेगी।

लोकसभा के बीते सत्र में कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल पेश किया गया था। बाद में इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया था। टीडीपी सांसद जे.सी. दिवाकर रेड्डी की अध्यक्षता वाली इस कमेटी ने उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए कानून में बेहद सख्त उपाय करने की सिफारिश की है।

कानून में मिलावटखोरों के खिलाफ की गई सिफारिशों के मुताबिक उत्पादक के साथ रिटेलर की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। खाद्य पदार्थों में मिलावट की शिकायत के तुरंत बाद एफआईआर दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी को कानून में अनिवार्य बनाया गया है।

अवधिपार सामान बेचा अब देना होगा हर्जाना

अर्चना नगर, मुरलीपुरा निवासी नरेन्द्र पलसानिया ने उपभोक्ता जिला मंच, जयपुर (तृतीय) में शाहपुरा स्थित निखार कलेक्शन के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। परिवाद में मंच को बताया गया कि उन्होंने उक्त दुकान से जिलेट कंपनी का शेविंग फॉम 299 रुपए में खरीदा था। इसकी अवधिपार तिथि जनवरी 2014 थी। लेकिन दुकानदार ने अवधिपार होने के बाद इसे बेचा है। उन्होंने दुकानदार से इसे बदलने को कहा, लेकिन उसने इसे बदलने से मना कर दिया।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता जिला मंच ने उत्पाद को एक्सपायरी डेट के करीब एक साल बाद बेचने के इस मामले में विक्रेता निखार कलेक्शन और वितरक को सेवा दोषी माना। मंच ने दोनों को संयुक्त रूप से या अलग-अलग 25 हजार रुपए परिवादी नरेन्द्र पलसानिया को बतौर हर्जाना अदा करने के आदेश दिए हैं। साथ ही दिए गए फैसले में मंच ने यह भी निर्देश दिया है कि उन्हें उत्पाद का मूल्य 299 रुपए भी आदेश की तिथि से एक माह के भीतर उपभोक्ता नरेन्द्र पलसानिया को चुकाना होगा।

ग्राहक सुविधा केन्द्र पर मिलेगी उपभोक्ता को राहत

उपभोक्ता को शोषण से मुक्ति मिल सकती है, बशर्ते कि उपभोक्ता जागरूक होकर खरीददारी करे और खरीदी गई वस्तु या सेवा का बिल प्राप्त करे तथा वस्तु या सेवा में शिकायत होने पर ग्राहक सुविधा केन्द्रों से सम्पर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करवाकर नि:शुल्क राहत प्राप्त करे।

यह विचार 'कट्स' मानव विकास केन्द्र, चित्तौड़गढ़ द्वारा आयोजित ग्राहक सुविधा केन्द्र प्रचारकों की कार्यशाला में उभर कर सामने आए।

मानव विकास केन्द्र के समन्वयक मदन गिरी ने बताया कि ग्राहक सुविधा केन्द्र 'कट्स' द्वारा भारत सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय के सौजन्य से स्थापित एक नई पहल है। इसके तहत एकल खिड़की प्रणाली से उपभोक्ताओं को राहत दी जाती है। इसका मकसद उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ावा देना और उपभोक्ता के साथ होने वाली ठगी की शिकायत दर्ज कर नि:शुल्क राहत दिलाना है।

कार्यशाला में 'कट्स' जयपुर के कार्यक्रम प्रभारी धर्मेन्द्र चतुर्वेदी ने उपभोक्ता को राहत दिलाने के लिए ग्राहक सुविधा केन्द्र की ओर से दी जा रही नि:शुल्क सेवाओं के बारे में जानकारी दी।

उज्ज्वला योजना में विधायकों के नाम

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से जारी सूची में ब्यावर के विधायक शंकर सिंह रावत व पूर्व विधायक देवी सिंह भूतड़ा सहित कई सक्षम लोगों को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला माना गया है। सूची में ऐसे कई नामों के आने से बीपीएल परिवारों के चयन में गड़बड़ी साफ नजर आ रही है।

उज्ज्वला योजना के लिए जारी सूची 2011 के आर्थिक सर्वे के आधार पर बनी है। गरीबों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंद को मिल सके। मद्देनजर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि साधन सम्पन्न परिवारों को बीपीएल सूची से बाहर किया जाएगा।

पंचायतीराज अब एक 'खाते' पर!

करीब साढ़े चार हजार करोड़ रुपए की भारी भरकम अनुदान राशि से पंचायतों और अन्य विभागीय संस्थाओं में हो रहे खर्चे पर अब सरकार सीधे नजर रख पाएगी। पंचायतीराज महकमे ने प्रदेश की सभी पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को अपने तमाम दूसरे बैंक खाते तत्काल बन्द कर एक ही खाते से वित्तीय संचालन का फरमान दे दिया है।

खर्च पर पूरी नजर रखने के लिए प्रोद्योगिकी विभाग ई.पंचायत सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है। इसके लागू होने पर ग्रामीण विकास की जमीनी हकीकत का पता लग सकेगा और राशि के उपयोग में धांधली पर रोक लगेगी।

ठीक नहीं है मिट्टी की सेहत

हमारे खेतों की मिट्टी की सेहत ठीक नहीं है। पिछले एक साल से सॉयल हैल्थ कार्ड बनाने के लिए मिट्टी के जो साढ़े चौदह लाख नमूने लिए हैं, उनकी जांच रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आ रहे हैं। अभी तक चार लाख 71 हजार नमूनों की रिपोर्ट आई है। जांच में सामने आया है कि मिट्टी में आयरन, जिंक, व मैंगनीज जैसे पोषक तत्वों की भारी कमी है। इससे पैदावार और उगने वाले अनाज की ताकत घटी है।

सॉयल हैल्थ कार्ड की शुरुआत पिछले साल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की थी। किसानों को रिपोर्ट के आधार पर सॉयल हैल्थ कार्ड दिए जा रहे हैं। अभी तक तीन लाख कार्ड वितरित हो चुके हैं। अब किसानों को जमीन की ताकत बढ़ाने के लिए सरकार देशी उपाय सुझा रही है।

प्रदेश का हर दूसरा किसान कर्जदार

राजस्थान में सूखा,ओले और अंधड़ जैसी विपदाओं की मार झेलने वाला हर दूसरा किसान कर्जदार है। उसके घर में न बीज है और न ही खाद के लिए पैसा। मजबूरन किसान खेती करने के लिए खाद, बीज सहित अन्य कृषि उपकरण के लिए बैंकों से कर्जा ले रहे हैं।

नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस की रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। प्रदेश में 100 में से 62 किसान कर्जदार हैं। देश के कर्जदार किसानों में राजस्थान का छठा नंबर है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 61.8 प्रतिशत किसान किसी न किसी का कर्जदार। एक किसान पर औसत कर्ज 40 से 55 हजार रुपए के करीब है।

आदर्श ग्राम योजना का होगा मूल्यांकन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अक्टूबर 2014 में आदर्श ग्राम योजना शुरू की थी। इसके तहत हर सांसद को एक गांव गोद लेकर उसे आदर्श गांव के रूप में विकसित करना था। अब प्रधानमंत्री कार्यालय सांसदों के गोद लिए गांवों का अब तक का मूल्यांकन करा कर जमीनी हकीकत जानना चाहता है।

केन्द्र की टीम उन गांवों का दौरा कर सांसदों द्वारा गांव में किए कार्यों की असलीयत देखकर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। फीडबैक और ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर गांवों की रैंकिंग तय की जाएगी। पीएमओ कार्यालय का मानना है कि योजना में ज्यादातर सांसदों ने काम में दिलचस्पी नहीं ली और गोद लिए गांवों की स्थिति को बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया है।

योजनाओं की सुस्त चाल पर नजर

ग्रामीण विकास योजनाओं की जिलों से प्राप्त रिपोर्ट से यह सामने आया है कि बेहतर क्रियान्वयन नहीं होने से योजनाओं के लाभ लोगों को वक्त पर नहीं मिल रहे। विभाग मुख्यालय से बार-बार रिमाइंडर भेजने के बावजूद काम समय पर पूरे नहीं हो रहे।

ग्रामीण विकास की करीब एक दर्जन योजनाएं जैसे नरेगा, आवास योजना, जल संग्रहण कार्य, पक्के निर्माण कार्य व गोलवरकर योजना आदि के निस्तारण और लम्बित प्रकरणों पर नजर रखने के लिए अब जिलों में बड़े अफसरों को भेजा गया है। अफसरों को हिदायत दी गई है कि वह पूर्ण और लम्बित कार्यों के वर्तमान हालातों की रिपोर्ट तैयार करें, ताकि समस्याओं को दूर किया जा सके।

ग्राहक सुविधा केन्द्र ने की मदद

मैंने अक्टूबर 2014 में सतनाम होण्डा मोटर्स से एक होण्डा एक्टिवा खरीदी थी। इसकी बैट्री की लाइफ 18 महीने बताई गई थी। लेकिन वह 12 महीने में ही खराब हो गई। मैंने सतनाम होण्डा से बात की तो बताया कि बैट्री की गांरटी 12 महीने की ही होती है और अब बैट्री नहीं बदली जाएगी।

इसके बाद मैंने 'ग्राहक सुविधा केन्द्र' बनीपार्क, जयपुर में सतनाम होण्डा मोटर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई । सात दिन में ही सतनाम मोटर्स ने बैट्री को बदल दिया। इससे मेरी समस्या का निवारण हो गया। - अखिल चौधरी, जयपुर

बुजुर्गों का होगा स्वास्थ्य बीमा

केन्द्र सरकार ने देश के 40 करोड़ बुजुर्गों को एक लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देने का फैसला किया है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी.नड्डा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बुजुर्गों को छह माह के अंदर यह सुविधा मिल जाएगी।

उन्होंने कहा कि इसे आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। केन्द्र सरकार चाहती है कि देश के किसी भी बुजुर्ग नागरिक को स्वास्थ्य सुविधा के लिए जेब से खर्च नहीं करना पड़े।

ग्राम पंचायतें होंगी ज्यादा मजबूत

वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अब देश की सभी ग्राम पंचायतों को केन्द्र से सीधे धन राशि भेजी जाएगी। मनरेगा की धन राशि भी यदि इसमें जोड़ दी जाए तो हर ग्राम पंचायत को करीब चार से पांच करोड़ रुपए मिलने वाले हैं।

इससे ग्रामीण जीवन स्तर में काफी सुधार आएगा। वहां का ढांचागत विकास रफ्तार पकड़ेगा। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। इससे ग्राम पंचायतें सशक्त होंगी साथ ही किसानों की आय बढ़ाने के उपाय भी किए जा सकेंगे।

काम हुए नहीं उठा लिया भुगतान

पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्माण कार्यों की थर्ड पार्टी जांच में हैरतभरे खुलासे हुए हैं। सामने आया कि जिन पंचायतों में काम पूरा होने का दावा किया गया था, वहां मौके पर काम ही शुरू नहीं हुआ।

काम की गुणवत्ता के मामले में तो करीब 90 प्रतिशत निर्माण फेल हो गए। कहीं सड़कों में ग्रेवल नहीं डाला, कहीं रोलर नहीं चला। जो पुलियाएं बनाई गई उनमें दरारें आ चुकी हैं। यह स्थिति तो उन 11 जिलों की है जहां से अभी थर्ड पार्टी रिपोर्ट सरकार को मिली है।

ग्राहक सुविधा केन्द्र

भारत सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय के सौजन्य से 'कट्स' इन्टरनेशनल द्वारा ग्राहक सुविधा केन्द्र की स्थापना की गई है।

ग्राहक सुविधा केन्द्र

आप उपभोक्ता सम्बन्धित किसी भी तरह की जानकारी अथवा शिकायत के लिए निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं।

ग्राहक सुविधा केन्द्र
कंज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स)
डी-218 ए, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016
ई-मेल: gsk@cuts.org फोन +091.141.4015395

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर